20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय जिला ग्वालियर (म.प्र.)

नि 5 623-II/16

1. देवेन्द्र, मुकेश तनय किलकोटी राय निवासी धर्मपुरा (सुजारा) तहसील टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. छोटेलाल तनय महादेव राय निवासी धर्मपुरा (सुजारा) तहसील टीकमगढ़ (म.प्र.)

निगराकार

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

प्रति निगराकार

दिनांक 19.2.16 को श्री राकेश यादव अभि० द्वारा प्रस्तुत।
19.2.16

निगरानी अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण राजस्व / 73 / बी–121 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :– यह कि भूमि स्थित धर्मपुरा खसरा नं. 262, 274, 276, 277 रकवा 0.709 का पट्टा राजस्व प्रकरण क्रमांक 116अ–19 (4) / 95–96 के अनुसार दिया गया था, जो राजस्व अभिलेखों में संबंधित भू स्वामी के रूप में दर्ज किया जा चुका था, परंतु कम्प्यूटर खसरा में मध्यप्रदेश शासन दर्ज था, जिसके तारतम्य में आवेदक / निगराकार द्वारा पिता की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार अंतर्गत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बडागांव के समक्ष रिकार्ड सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त सुधार 9 वर्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुशंसा हेतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ से अनुशंसा हेतु प्रकरण प्रस्सुत किया गया, जहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुये उक्त अनुशंसा निरस्त कर दी कि प्रकरण में आवेदक निगराकार मूल कृषक नहीं है और न ही संबंधित भूमि पर खेती करते हैं। न ही उत्तराधिकार का क्रम निर्धारित किया और प्रकरण निरस्त कर दिया।

2. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी तरह का कोई तर्क अथवा सुनवाई का अवसर निगराकारों को नहीं दिया और मनमाने तरीके से प्रकरण को निरस्त कर निगराकारगणों

--2--

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-623-दो/2016 जिला टीकमगढ़ देवेन्द्र विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 73/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10-12-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 25/2/2019	